

[2023] 2 एस.सी.आर. 846

एनटीपीसी लिमिटेड।

बनाम

मैसर्स एस.पी.एम.एल. इनफ्रा लिमिटेड।

(सिविल अपील सं. 4778/2022)

अप्रैल 10, 2023

[मु.न्या. डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, और

न्या. पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा]

मध्यस्थता और मध्यस्थता 1996: धारा 11 (6) - मध्यस्थता मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन-विवाद की मध्यस्थता-पक्षों के बीच अनुबंध-एस.पी.एम.एल. द्वारा काम को सफलतापूर्वक पूरा करना और एन.टी.पी.सी. द्वारा पूरा करने का प्रमाणपत्र जारी करना-एन.टी.पी.सी. ने अंतिम भुगतान जारी किया-हालांकि, एन.टी.पी.सी. ने अन्य परियोजनाओं के संबंध में एस. पी. एम. एल. की बैंक गारंटी को रोक दिया-बदले में, एस. पी.एम.एल. ने एन.टी.पी.सी. के खिलाफ दावा किया, और उसके बाद, बैंक गारंटी जारी करने के लिए मध्यस्थता याचिका दायर की-विचाराधीनता के दौरान, पक्षकार एक निपटान समझौते पर पहुंचे और उसके अनुपालन में, एन.टी.पी.सी. ने बैंक गारंटी जारी कर दी और एस.पी.एम.एल. ने मध्यस्थता याचिका वापस ले ली-एक महीने के बाद, एस.पी.एम.एल. 11 (6) समझौता समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक विबाध्यता का आरोप लगाते हुए-उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:एस. पी. एम. एल. पर बैंक गारंटी की वापसी के लिए एक शर्त के रूप में विषय

अनुबंध के तहत किसी भी लंबित दावे को वापस लेने के लिए मजबूर करने या आर्थिक विबाध्यता का कोई आरोप नहीं - केवल एस.पी.एम.एल. द्वारा आरोप एन.टी.पी.सी. द्वारा बैंक गारंटी जारी करने को कुछ अन्य अनुबंधों के साथ जोड़ने की अवैध कार्रवाई के संबंध में था-जबरदस्ती और आर्थिक विबाध्यता के आरोप प्रामाणिक नहीं थे, और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए पक्षों के बीच कोई लंबित दावे नहीं थे-एस.पी.एम.एल. का दावा प्रत्यक्ष रूप से योग्य, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी शुरू करने का एक प्रयास था-उच्च न्यायालय को प्रथमदृष्टया परीक्षण का उपयोग करना चाहिए था और पूर्व-चेहरे योग्य और बेईमान मुकदमेबाजी को रद्द करना चाहिए था। 11 (6), इस प्रकार, उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया गया।

एस. 11 (6)-न्यायालयों की यू/एस की पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र/11 (6)-आयोजित होने का क्षेत्र:बहुत संकीर्ण है और दो पूछताछ करता है-प्राथमिक जांच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है और द्वितीयक जांच संदर्भ स्तर पर विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में है-किसी दावे की गैर-मध्यस्थता की जांच करने के लिए जांच का मानक केवल प्रथमदृष्टया है-सुई की नजर द्वारा सीमित जांच आवश्यक और सम्मोहक है-यदि सीमित सीमा के भीतर इस कर्तव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, और न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है-इस प्रकार, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय, यू/एस में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। 11 (6) से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह केवल एक आवेदक द्वारा उठाए गए कथित विवाद को चुने हुए मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए यांत्रिक रूप से कार्य करेगा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत अदालतों का पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र बहुत संकीर्ण है और इसमें दो पूछताछ होती

हैं। प्राथमिक जांच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है, जिसमें समझौते के पक्षों और उक्त समझौते के लिए आवेदक की गोपनीयता के बारे में भी जांच शामिल है। ये ऐसे मामले हैं जिनकी रेफरल अदालत द्वारा गहन जांच की आवश्यकता होती है। द्वितीयक जांच जो संदर्भ स्तर पर ही उत्पन्न हो सकती है, वह विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में है। [पैरा 25] [862-ई-एफ]

1.2 एक सामान्य नियम और एक सिद्धांत के रूप में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है। नियम के एक अपवाद के रूप में, और शायद ही कभी एक डिमरर के रूप में, रेफरल कोर्ट उन दावों को अस्वीकार कर सकता है जो स्पष्ट रूप से और पूर्व-दृष्टि से गैर-मध्यस्थ हैं। किसी दावे की गैर-मध्यस्थता की जांच करने के लिए जांच का मानक केवल प्रथमदृष्टया है। रेफरल अदालतों को विवादित तथ्यों की पूरी समीक्षा नहीं करनी चाहिए; उन्हें केवल प्राथमिक प्रथम समीक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए और तथ्यों को खुद बोलने देना चाहिए। इसके लिए अदालतों को यह जांचने की भी आवश्यकता होती है कि मध्यस्थता पर दावा प्रामाणिक है या नहीं। तथ्यों की प्रथमदृष्टया जांच से एक स्पष्ट निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दावा गैर-मध्यस्थ है। दूसरी ओर, भले ही थोड़ा सा संदेह हो, नियम यह है कि विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाए। [पैरा 26,27] [862-जी; 863-सी-ई]

1.3 सुई की आंख द्वारा से सीमित जांच आवश्यक और सम्मोहक है। यह रेफरल अदालत के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है कि जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हो तो पक्षों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाया जाए। इसे सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए संदर्भ से इनकार आदेश के लिए अदालतों द्वारा एक वैध हस्तक्षेप कहा गया है। इसके अलावा, जैसा कि विद्या द्रोलिया के मामले में उल्लेख किया गया है, यदि सीमित दिशा के भीतर

इस कर्तव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, और न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसलिए, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय से, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल एक आवेदक द्वारा उठाए गए कथित विवाद को चुने हुए मध्यस्थ के दरवाजे पर देने के लिए यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जाती है। [पैरा 28] [863-ई-एफ; 864-ए]

2.1 नंगे तथ्य का एक सरल वर्णन इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि जबरदस्ती और आर्थिक विबाध्यता के आरोप प्रामाणिक नहीं हैं, और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए पक्षों के बीच कोई लंबित दावे नहीं थे। प्रत्यर्थी का दावा "प्रत्यक्ष रूप से योग्य, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी" शुरू करने के प्रयास के विवरण में फिट बैठता है [पैरा 44] [867-डी]

2.2 पूरा विवाद अपीलकर्ता, एनटीपीसी के एकल कार्य के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें काम के सफल समापन के बावजूद बैंक गारंटी वापस नहीं की जाती है। एस.पी.एम.एल. द्वारा नो-डिमांड प्रमाणपत्र जारी करने और एन.टी.पी.सी. द्वारा अंतिम भुगतान जारी करने के बाद भी यह जारी रहा। इन निर्विवाद तथ्यों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की स्थापना हुई। बैंक गारंटी की वापसी के लिए एक शर्त के रूप में विषय अनुबंध के तहत किसी भी लंबित दावे को वापस लेने के लिए एस.पी.एम.एल. को मजबूर करने वाले जबरदस्ती या आर्थिक विबाध्यता का कोई आरोप नहीं था। इसके विपरीत, एस.पी.एम.एल. का एकमात्र आरोप कुछ अन्य अनुबंधों के साथ बैंक गारंटी जारी करने को आपस में जोड़ने की एन.टी.पी.सी. की "अवैध" कार्रवाई के संबंध में था। उच्च न्यायालय के समक्ष ठीक यही तर्क था, और वास्तव में, यह निवेदन उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करते हुए और एनटीपीसी पर रोक लगाते हुए दर्ज किया गया है। यह तथ्य

स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि समझौता समझौते की ओर ले जाने वाली जबरदस्ती और आर्थिक विबाध्यता की दलील एक विचार के बाद की बात है। [पैरा 45] [867-ई-जी] ए

2.3. यह रिट याचिका और उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के निर्वाह के दौरान था, जब एस.पी.एम.एल. को न्यायालय का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था, कि पक्षों ने निपटान समझौते में प्रवेश किया। यह समझौता व्यापक था। इस अन्य बातों के साथ साथ बातों के साथ-साथ एन.टी.पी.सी. द्वारा बैंक गारंटी जारी करने, एस.पी.एम.एल. की रिट याचिका को वापस लेने, एन.टी.पी.सी. को एस.पी.एम.एल. के खिलाफ बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने देने के लिए अवमानना कार्यवाही दायर करने से रोकने और अंत में एस.पी.एम.एल. को मध्यस्थता सहित विषय अनुबंध के तहत कोई भी कार्यवाही शुरू करने से रोकने का प्रावधान किया। निपटान समझौते में यह भी दर्ज किया गया कि दोनों पक्षों के बीच कोई भी स्थायी मुद्दा लंबित नहीं था। [पैरा 46] [868-ए-सी]

2.4. निपटान समझौते का लाभ उठाने के बाद, 21.09.2020 पर रिट याचिका वापस ले ली गई। इसके बाद अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया गया था। घटनाओं के क्रम से यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्वीकृति पत्र केवल निपटान समझौते की शर्तों से बाहर निकलने के लिए जारी किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दावे एक विचार के बाद उठाए गए थे। इसके अलावा, समझौता समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक विबाध्यता के एस.पी.एम.एल. के आरोपों में ईमानदारी का अभाव है। उन्हें तुच्छ और असमर्थनीय के रूप में गिराया जा सकता है। [पारस 47 और 48] [868-ई-जी]

2.5. यह एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय को प्रथमदृष्टया परीक्षण का उपयोग करना चाहिए था ताकि पूर्व-दृष्टया योग्य और बेईमान मुकदमे की जांच की जा सके और उसे खारिज किया जा सके। ये ऐसे मामले हैं जहां उच्च न्यायालय को पक्षकारों को

मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोकने और बचाने के लिए प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की खंड 11 (6) के तहत आवेदन को अनुमति देने में गलती की। उच्च न्यायालय को विद्या द्रोलिया के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में विवादों के अंतिम निपटारे के मुद्दे की जांच करनी चाहिए थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [पारस 49-51] [868-G-H; 869-A-B]

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा व्यापार निगम
(2021) 2 एस.सी.सी. 1 - पर निर्भर।

मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन
(2019) 8 एससीसी 714 : [2019] 12 एससीआर 123;
इयूरो फेलगुएरा, एस.ए. बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड
(2017) 9 एससीसी 729: [2017] 10 एससीआर 285;
संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा और अन्य। (2021)
9 एससीसी 732; *ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड और*
अन्य बनाम. डिसाइटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड (2020) 4
एससीसी 621 : [2019] 14 एस.सी.आर 389; *एम्मार*
भारत लिमिटेड बनाम तरुण अग्रवाल प्रोजेक्ट्स एलएलपी
और अन्य 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस. सी. 1328;
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. बोधरा पॉलीफैब
(पी) लिमिटेड (2009) 1 एस.सी.सी. 267: [2008] 13
एस.सी.आर. 638; *भारत संघ और अन्य बनाम मास्टर*
निर्माण कंपनी (2011) 12 एस.सी.सी. 349 : [2011] 5
एस.सी.आर 853; *न्यू भारत एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
बनाम जीन शक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2
एस.सी.सी. 424 : [2014] 12 एस.सी.आर 360;
यूनाइटेड भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्राचीन
कला एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2019) 5

एस.सी.सी. 362 : [2019] 5 एस.सी.आर 521; प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इन्फ्रा और इंग.प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2021) 5 एस.सी.सी. 671 ; संजीव प्रकाश बनाम. सीमा कुकरेजा और अन्य (2021) 9 एस.सी.सी. 732; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 896; बी.एस.एन.एल और अन्य बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स भारत (पी) लिमिटेड (2021) 5 एस.सी.सी. 738; सिकंदराबाद छावनी बोर्ड बनाम बी. रामचंद्रैया एंड संस (2021) 5 एस.सी.सी. 705; डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड बनाम राजापुरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 781-संदर्भित।

निर्णयज विधि संदर्भ

- [2019] 12 एससीआर 123 में अनुच्छेद 13 संदर्भित है
- [2017] 10 एससीआर 285 में अनुच्छेद 13 संदर्भित है
- (2021) 9 एससीसी 732 में अनुच्छेद 13 संदर्भित है
- [2019] 14 एससीआर 389 में अनुच्छेद 13 संदर्भित है
- [2008] 13 एससीआर 638 में अनुच्छेद 17 संदर्भित है
- [2011] 5 एससीआर 853 में अनुच्छेद 17 संदर्भित है
- [2014] 12 एससीआर 360 में अनुच्छेद 17 संदर्भित है
- [2019] 5 एससीआर 521 में अनुच्छेद 20 संदर्भित है
- (2021) 5 एससीसी 671 में अनुच्छेद 24 संदर्भित है

(2021) 9 एससीसी 732 में अनुच्छेद 24 संदर्भित है

(2021) 5 एससीसी 738 में अनुच्छेद 24 संदर्भित है

(2021) 5 एस.सी.सी. 705 में अनुच्छेद 24 संदर्भित है

(2021) 2 एससीसी 1 में 28,50 पर भरोसा किया है

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल याचिका सं. 4778/2022।

ए.आर.बी.पी. सं. 477/2020 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.04.2021 के निर्णय और आदेश से ।

आदर्श त्रिपाठी, विक्रम एस. बैद, अजितेश गर्ग, गौरव, अधिवक्तागण। अपीलकर्ता के लिए।

जयदीप गुप्ता, सौम्या दत्ता, अधिवक्तागण। प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्या. पमिडीघंटम श्री नरसिम्हा,

1. वर्तमान अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ अधिकरण के गठन के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार किया गया। अपीलकर्ता एनटीपीसी का यह कहना है कि दिनांक 27.05.2020 के निपटान समझौते के मद्देनजर पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं था और मध्यस्थता का आवेदन बाद में विचार के बाद बना और यह इस प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

2. इस न्यायालय ने दिनांक 15.07.2022 के आदेश द्वारा अनुमति देते हुए, मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका दायर करने और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के सन्दर्भ में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3. **तथ्य:** अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी, जिन्हें एतद पश्चात क्रमशः एनटीपीसी और एसपीएमएल के रूप में संदर्भित किया जाएगा, “*सिम्हाद्री, विशाखापत्तनम में एनटीपीसी में सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज II के लिए स्टेशन पाइपिंग पैकेज की स्थापना सेवाएं*” के लिए एक अनुबंध किया। अनुबंध समझौते के अनुसार, एसपीएमएल ने अपीलकर्ता को 14,96,89,136/- रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी और एडवांस्ड बैंक गारंटी प्रस्तुत की।

4. परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अनुसरण में, एनटीपीसी द्वारा 27.03.2019 को एक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया था। दिनांक 10.04.2019 के अपने पत्र द्वारा, एनटीपीसी ने एसपीएमएल को सूचित किया कि अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान एसपीएमएल से *नो-डिमांड प्रमाणपत्र* प्राप्त होने पर ही जारी किया जाएगा। वही *नो-डिमांड सर्टिफिकेट* एसपीएमएल द्वारा 12.04.2019 को जारी किया गया था और एनटीपीसी ने अप्रैल 2019 में 1,40,00,000 रुपये की अंतिम भुगतान राशि भी जारी की थी। परन्तु बैंक गारंटी रोक दी गई थी।

5. 14.05.2019 को, एनटीपीसी ने एसपीएमएल को सूचित किया कि बोंगाईगॉन, बाढ़ और कोरबा में अन्य परियोजनाओं के संबंध में पक्षों के बीच लंबित देनदारियों और विवादों के कारण बैंक गारंटी रोक दी गई थी।

एसपीएमएल ने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध किया। दिनांक 15.05.2019 के अपने पत्र द्वारा, एसपीएमएल ने एनटीपीसी को सूचित किया कि पूर्णता प्रमाण पत्र और नो-डिमांड प्रमाणपत्र जारी करने के बावजूद बैंक गारंटी को किन्हीं और ही परियोजनाओं से जोड़कर रोका रखा जाना अनुचित था। विरोध के पश्चात, एसपीएमएल ने एनटीपीसी से 72,01,53,899/- रुपये की मांग की, जो इसी अनुबंध के तहत एनटीपीसी द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए वसूली योग्य देनदारियां हैं।

6. दिनांक 12.06.2019 के अपने पत्र द्वारा, एसपीएमएल ने एनटीपीसी से अनुबंध की सामान्य और विशेष शर्तों के संदर्भ में लंबित विवादों को हल करने के लिए एक अधिनिर्णायक नियुक्त करने का आह्वान किया। क्योंकि एनटीपीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, एसपीएमएल ने बैंक गारंटी जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका संख्या 7213/2019 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। रिट याचिका में प्रार्थना है कि:

"(अ) प्रत्यर्थी द्वारा जारी दिनांक 14.05.2019 के ई-मेल को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश पारित करें, क्योंकि यह (अ) 0040आईएलजी002609, (ब) 0040आईएलजी001109, (स) 0040आईएलजी001209, (द) 0040आईएलजी001309 बैंक गारंटी जारी करने से संबंधित है और प्रत्यर्थी को तत्काल उक्त बैंक गारंटी जारी करने के लिए निर्देशित करें

(ब) कोई अन्य आदेश या ऐसे अन्य आदेश पारित करें जो कि न्याय, समानता और अन्तश्चेतना के हित में हो।"

7. नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 08.07.2019 के अंतरिम आदेश द्वारा एनटीपीसी को बैंक गारंटी का नकदीकरण न करने का निर्देश दिया और एसपीएमएल को बैंक गारंटी को जारी रखने का निर्देश दिया।

8. रिट याचिका के लंबित होने के कारण, पक्षों के बीच बातचीत 27.05.2020 को एक निपटान समझौते के रूप में समाप्त हुई। निपटान समझौते के माध्यम से एनटीपीसी रोकी गई बैंक गारंटियों को जारी करने पर सहमत हो गई। एसपीएमएल ने अपनी लंबित रिट याचिका को वापस लेने पर भी सहमति व्यक्त की और विषय अनुबंध के तहत मध्यस्थता सहित कोई अन्य कार्यवाही शुरू नहीं करने का वचन दिया।

9. निपटान समझौते के बाद, एनटीपीसी द्वारा 30.06.2020 को बैंक गारंटी जारी की गई थी। जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 21.09.2020 के आदेश में दर्ज है, एसपीएमएल ने रिट याचिका वापस ले ली।

10. विवादों के पूर्वोक्त निपटान के बाद, इसके कार्यान्वयन के बाद, एसपीएमएल ने निपटान समझौते को अस्वीकार कर दिया और 10.10.2020⁴ को वर्तमान आवेदन अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया। इस मध्यस्थता याचिका में, एसपीएमएल ने निपटान समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक दबाव का आरोप लगाया। आरोप यह था कि बैंक गारंटी को बनाए रखने से एसपीएमएल को निपटान

समझौते की शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसपीएमएल ने यह भी कहा कि एनटीपीसी बार-बार अनुरोध के बावजूद मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा है, और इसलिए उच्च न्यायालय को अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए एक मध्यस्थ अधिकरण का गठन करना चाहिए।

⁴ संविदा की सामान्य शर्तों का खंड 6.2 निम्नानुसार है:

“6.2 मध्यस्थता

6.2.1 यदि नियोक्ता या ठेकेदार अधिनिर्णायक के निर्णय से असंतुष्ट हैं, या यदि अधिनिर्णायक किसी विवाद को संदर्भित किए जाने के अट्ठाईस (28) दिनों के भीतर निर्णय देने में विफल रहता है, तो नियोक्ता या ठेकेदार, ऐसे संदर्भ के 56 (56) दिनों के भीतर, विवाद के मामले के बारे में मध्यस्थता शुरू करने के अपने इरादे के बारे में अधिनिर्णायक को जानकारी के लिए एक प्रति के साथ दूसरे पक्ष को नोटिस दे सकते हैं, जैसा कि इसके बाद बताया गया है, और इस मामले के संबंध में कोई मध्यस्थता तब तक शुरू नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता है।”

11. मध्यस्थता याचिका के जवाब में एनटीपीसी ने दोहरी आपत्तियां उठाईं। पहले, एसपीएमएल विवाद समाधान खंड⁵ की शर्तों के अनुसार विवादों को किसी अधिनिर्णायक को भेजने की अनिवार्य पूर्व-मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा। दूसरे, दोनों पक्षों के बीच विवादों का निपटान 27.05.2020 के निपटान समझौते के आधार पर किया गया था। निपटान समझौते के तहत कार्य करते हुए एनटीपीसी ने बैंक गारंटी जारी की और एसपीएमएल ने भी रिट याचिका वापस ले ली और इसलिए समझौते और संतुष्टि से संविदा का निर्वहन किया गया। जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोपों को झूठा बताकर खारिज कर दिया गया था, क्योंकि सभी घटनाएं दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के निर्वाह के दौरान हुईं, और पक्षकारों ने स्वेच्छा से निपटान समझौते की शर्तों का पालन किया।

⁵ विवाद समाधान, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 6.1 और अनुबंध की विशेष शर्तों के खंड 3 के तहत प्रदान किया गया था; एतद पश्चात 'विवाद समाधान खंड'; अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 6.1 निम्नानुसार है:

“6. विवादों का निपटान

6.1 अधिनिर्णायक

6.1.1 यदि नियोक्ता और ठेकेदार के बीच संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होगा, जिसमें पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इसके अस्तित्व, वैधता या समाप्ति, या सुविधाओं के निष्पादन के बारे में कोई प्रश्न शामिल है - चाहे सुविधाओं की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे समाप्ति से पहले या बाद में, अनुबंध का परित्याग या उल्लंघन- पार्टियां आपसी परामर्श से ऐसे किसी भी विवाद या मतभेद को हल करने की कोशिश करेंगी। यदि पक्ष आपसी परामर्श से इस तरह के विवाद या मतभेद को हल करने में विफल रहते हैं, तो विवाद को किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिनिर्णायक को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति दूसरे पक्ष को दी जाएगी।”

इसके अलावा, 72,01,53,899/- रुपये की मांग का विचार बाद में किया गया था, जिसे अनुबंध के निर्वाह के दौरान कभी नहीं उठाया गया। इन परिस्थितियों में, एनटीपीसी ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

12. **उच्च न्यायालय:** उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच हुए पत्राचार की विस्तार से जांच की। न्यायालय ने एनटीपीसी की पहली दलील को खारिज कर दिया कि एसपीएमएल को पहले विवाद समाधान उपबंध के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का सहारा लेना चाहिए था। पीठ ने कहा कि एसपीएमएल ने पहले भी ऐसा अनुरोध किया था लेकिन एनटीपीसी उसका जवाब देने में विफल रही। मध्यस्थता के अनुरोध और आर्थिक दबाव के आरोप के संबंध में, जो कि कथित तौर पर निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने में प्रबल था, उच्च न्यायालय ने कहा कि:

"66. एसपीएमएल ने मध्यस्थता खंड को लागू किया था और विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग की थी। इसने इस न्यायालय का भी रुख किया था। इसलिए, एसपीएमएल के लिए यह स्थापित करना मुश्किल होगा कि उसे निपटान समझौते में प्रवेश करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूर किया गया था। हालांकि, यह न्यायालय यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि यह विवाद कि यदि अनुबंध समझौते का निर्वहन/नवीनीकरण समझौता करार के संदर्भ में किया गया था, प्रथम दृष्टया अस्थिर, अपर्याप्त या तुच्छ है।"

(जोर दिया गया)

13. *मायावती ट्रेडिंग (प्रा) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन, विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इयूरो फेलगुएरा, एसए बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा और अन्य, और ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड और एन. बनाम डिसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड* में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका की अनुमति दी। पीठ ने एनटीपीसी की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया और संबंधित मध्यस्थों को पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया।

14. **पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ:** श्री आदर्श त्रिपाठी जो कि एनटीपीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल के साथ और उनकी ओर से पेश हुए थे ने निवेदन किया कि 27.05.2020 का निपटान समझौता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हुआ था। इसलिए जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोप झूठे और अविश्वसनीय थे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि एसपीएमएल ने अनुबंध के निर्वाह के दौरान, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले, या अंतिम भुगतान किए जाने से पहले भी कभी दावे नहीं उठाए। इसके अलावा, रिट याचिका वापस लेने से पहले निपटान समझौते के अनुसार बैंक गारंटी जारी करने की प्रतीक्षा में और उसके बाद मध्यस्थता याचिका शुरू करने में एसपीएमएल के आचरण ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि जबरदस्ती का आरोप सत्य नहीं था। अंत में, उन्होंने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय यह

जानने के लिए कि क्या कोई मामला है *प्रत्यक्षतः* मध्यस्था योग्य है, एक सीमित जांच करने के लिए बाध्य था। इसके लिए, उन्होंने इस न्यायालय के *एम्मार इंडिया लिमिटेड बनाम तरुण अग्रवाल प्रोजेक्ट्स एलएलपी एवं अन्य* में हाल के ही एक फैसले को आधार बनाया।

15. प्रत्यर्थी, एसपीएमएल की ओर से पेश अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने निवेदन किया है कि अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत किसी आवेदन को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांत *मायावती ट्रेडिंग* (उपरोक्त) और *विद्या झोलिया* (उपरोक्त) मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के बाद अच्छी तरह से तय किए गए हैं। पूर्व-परामर्श चरण में, इस न्यायालय की अधिकारिता इस बात की जांच तक सीमित है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। उन्होंने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय अपवाद नहीं था, क्योंकि यह सवाल कि क्या निपटान समझौते को अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती निष्पादित किया गया था, एक मध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

16. **कानून की स्थिति:** वर्तमान मामले में, हम अधिनियम की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय के पूर्व-परामर्श अधिकारिता से चिंतित हैं और उस सीमित दायरे को रेखांकित करना चाहते हैं जिसके भीतर अधिनियम की धारा 11 (6)¹² के तहत किसी आवेदन पर विचार किया जाना है।

17. पूर्व-परामर्श अधिकारिता के संबंध में कानून की स्थिति, जैसा कि अधिनियम में धारा 11 (6 अ) से पहले थी, *नेशनल इन्शुरन्स को. लिमिटेड* बनाम *बोधारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड* में इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए पूर्ण रूप से स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। *बोधारा पॉलीफैब (प्रा) लिमिटेड* में इस न्यायालय द्वारा माना गया है कि गैर-मध्यस्थता के मुद्दे की उन मामलों में न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिए जहां अनुबंध की सहमती और निर्वहन से सम्बन्धित आरोप लगाया गया है।

12 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का अधिनियम 26), धारा 11 (6):

"(6) पक्षकारों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत, -

(अ) एक पार्टी उस प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्य करने में विफल रहती है; नहीं तो

(ब) पक्ष, या दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते तक पहुंचने में विफल रहते हैं; नहीं तो

(स) एक संस्था सहित एक व्यक्ति, उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है या उस प्रक्रिया के तहत, एक पक्ष आवश्यक उपाय करने के लिए 1 [सुप्रीम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था] से अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति हासिल करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।

बोधारा पॉलीफैब के सिद्धांत का पालन करते हुए इस न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन को.¹⁴ में माना कि जब डिस्चार्ज वाउचर, नो-क्लेम सर्टिफिकेट या सेटलमेंट एग्रीमेंट की वैधता का विवाद है, तो पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले न्यायालय को प्रत्यक्षतः आरोपों की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। इस न्यायालय ने एक बार फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड¹⁵ में कहा कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोपों की

14 (2011) 12 एससीसी 349:

"18. हमारी राय में, पूर्ण प्रकार का कोई नियम नहीं है। ऐसे मामले में जहां दावेदार का तर्क है कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से डिस्चार्ज वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है और दूसरा पक्ष इसकी शुद्धता का विरोध करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित को कम से कम प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि विवाद वास्तविक और वास्तविक है या नहीं। जहां दावेदार द्वारा डिस्चार्ज वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट या सेटलमेंट एग्रीमेंट की वैधता के संबंध में उठाया गया विवाद, प्रथम दृष्टया, विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होता है, विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

15 (2015) 2 एससीसी 424:

"10. हमारे विचार में, प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई याचिका किसी भी विवरण और विवरण से रहित है, और बेबुनियाद दावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है। इस तथ्य को देखते हुए कि उस समय या उप-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के तुरंत बाद कोई विरोध या निंदा नहीं की गई थी, कि दिनांक 31-3-2011 का नोटिस लगभग तीन सप्ताह बाद था और प्रत्यर्थी की वित्तीय स्थिति इतनी अनिश्चित नहीं थी कि उसके पास सुझाई गई शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, हमारा दृढ़ मत है कि वर्तमान मामले में आरोपमुक्त किया जाना और अवक्रमण पत्र पर हस्ताक्षर करना किसी अनुचित प्रभाव के प्रयोग के कारण नहीं था। इस तरह का निर्वहन और अधीनता पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वैच्छिक था और किसी भी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से मुक्त था। इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि प्रस्थापन के पत्र के निष्पादन पर, दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हुआ था। क्योंकि इस प्रश्न का हमारा उत्तर, क्या वास्तव में सहमति और संतुष्टि थी, सकारात्मक है, हमारे विचार में अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई विवाद मौजूद नहीं था। इसलिए अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था।

प्रत्यक्षतः पुष्टि आरोप लगाने वाले पक्ष द्वारा सबूतों के माध्यम से की जानी चाहिए।

18. इन उदाहरणों की विधायी प्रतिक्रिया में, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (6अ) जोड़ी गई थी, जो निम्नानुसार है:

"(6-अ) सुप्रीम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रहेगा।

(जोर दिया गया)

19. विधायी परिवर्तन का संज्ञान लेते हुए *द्यूरो फेल्गुएरा* (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि 2015 के संशोधनों के बाद, अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस जांच तक ही सीमित है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं - "न इससे ज्यादा, न कम"।

20. हालांकि, वर्ष 2019 में, *यूनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स को. लिमिटेड* बनाम *एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड*¹⁸ में इस न्यायालय ने फिर 'समझौते और संतुष्टि' की आपत्ति को मध्यस्थता के संदर्भ में आवेदन के विरोध में स्वीकार किया था।

21. *एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट* (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण को बदलने में अधिक समय नहीं लगा। *मायावती ट्रेडिंग* (उपरोक्त) में तीन

न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने *एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स* में उपर्युक्त निर्णय को यह कहते हुए स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि:

“10. इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि 2015 के संशोधन से पहले का कानून जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें यह जांचना शामिल था कि क्या समझौता और संतुष्टि हुई है, को अब विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है। यह स्थिति होने के नाते, उपरोक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि धारा 11 (6-अ) एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित है और इसे संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए जैसा कि ड्यूरो फेलगुएरा, एसए फैसले में निर्धारित किया गया है।”

18 (2019) 5 SCC 362:

"21. इस मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रथम दृष्टया कोई विवाद नहीं हुआ और दावे के निपटान के 11 सप्ताह बाद 27-7-2016 को पहली बार एक पत्र भेजा गया, जिसमें विरोध किया गया कि डिस्चार्ज वाउचर पर अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके समर्थन में अभिलेख पर किसी प्रथम दृष्टया सहायक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, यह माना जाना चाहिए कि दावे को समझौते और संतुष्टि के साथ निपटाया गया था, जिससे समझौते के तहत कोई मध्यस्थ विवाद नहीं था, जिसे निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेजा जाना था।

22. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने लागू आदेश पारित कर और अभिलेख पर किसी भी सहायक सबूत के बिना मध्यस्थ की नियुक्ति में एक यांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर स्पष्ट रूप से त्रुटि की है ताकि प्रथम दृष्टया यह साबित हो सके कि समझौते के तहत एक मध्यस्थ विवाद था, जिसे निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेजने की आवश्यकता थी।

22. *विद्या ड्रोलिया* (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर पूरे मामले के कानून पर विचार किया था और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत पूर्व-परामर्श क्षेत्राधिकार के संबंध में एक व्यापक सिद्धांत निर्धारित किया गया था। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"153. तदनुसार, हम मानते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" अभिव्यक्ति में मध्यस्थता समझौते की

वैधता का पहलू शामिल होगा, हालांकि परामर्श चरण में न्यायालय इस फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगी। बहस योग्य और विवादित तथ्यों, और अच्छे उचित सुनवाई योग्य मामले आदि के मामलों में, न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करेगी क्योंकि मध्यस्थता अधिकरण के पास विवादों का फैसला करने के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र और अधिकार है जिसमें अधिकार क्षेत्र और गैर-स्वीकार्यता का सवाल शामिल है।

154. "मध्यस्थता का निर्णय कौन करता है?" शीर्षक के तहत निम्नानुसार चर्चा की जा सकती है:

154.1. 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधन के बाद (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि 2019 के अधिनियम 33 (9-8-2019 से प्रभावी) के तहत संशोधन के बाद मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड [एसबीपी एंड कं. बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618] में न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर निर्णय का अनुपात अब लागू नहीं है।

154.2. न्यायिक समीक्षा का दायरा और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समान है लेकिन बेहद सीमित और प्रतिबंधित है।

154.3. 2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी आदेश और विच्छेदन और सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांत के मद्देनजर सामान्य नियम और सिद्धांत यह है कि मध्यस्थ अधिकरण गैर-मध्यस्थता-योग्य के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए वरीयता प्राप्त प्रथम प्राधिकरण है। न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(2)(क) के उप-खंड (i), (ii) या (iv) या धारा 34(2)(ख) के उप-खंड (i) के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी नज़र" की शक्ति प्रदान की गई है।

154.4. शायद ही कभी एक आपत्तिकर्ता के रूप में न्यायालय धारा 8 या 11 के चरण में हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट और प्रकट रूप से निश्चित है कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्वहीन, अमान्य है या विवाद गैर-मध्यस्थता-योग्य हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक समीक्षा के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेंगे। सीमित और संकुचित समीक्षा पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोकने और बचाने के लिए

और अनावश्यक चीजों को समाप्त करने के लिए है, जब मामला स्पष्ट रूप से "गैर-मध्यस्थता-योग्य" है। जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित विवाद स्पष्ट रूप से सुनवाई योग्य हों; जब सारांश कार्यवाही में विचार अपर्याप्त और अनिश्चित हों; जब तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष देरी की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है, न्यायालय व्यतिक्रम पर मामले को संदर्भित करेगा। यह मध्यस्थ अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़पने हेतु न्यायालय के लिए एक छोटा विचारण या विस्तृत समीक्षा शुरू करने का मंच नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि करने और इसे बनाए रखने का मंच है।

(जोर दिया गया)

23. प्री-रेफरल चरण में न्यायिक जांच के सीमित दायरे को 'प्रथम दृष्टया पुनर्विलोकन' के परीक्षण से गुजरना होता है। इसे निम्नानुसार समझाया गया है:-

"133. धारा 8 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामले को पक्षकारों द्वारा रखे गए मामले के गुणागुण के रूप में नहीं समझना चाहिए जिसे मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष स्थापित किया जाना है। यह वाद के प्रथम दृष्टया एक वैध मध्यस्थता समझौते के तहत मध्यस्थता योग्य होने की विषय-वस्तु तक ही सीमित है। प्रथम दृष्टया मामले का मतलब है कि इन पहलुओं पर प्राख्यान सद्भावपूर्ण हैं। जब अलगाव और सक्षमता-क्षमता के सिद्धांतों और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है, तो रेफरल न्यायालय बिना उलझे पक्षकारों को पालन करने के लिए मजबूर करेगा जब तक कि इसके विपरीत अच्छे और ठोस कारण न हों।

134. प्रथम दृष्टया जांच पूर्ण समीक्षा नहीं है, बल्कि प्रकट और स्पष्ट रूप से गैर-मौजूद और अमान्य मध्यस्थता समझौतों और गैर-मध्यस्थता योग्य विवादों को दूर करने के लिए एक प्राथमिक पहली समीक्षा है। संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा यह है कि सरल मामलों में अनावश्यक चीजों को हटा दिया जाए, जहां बर्खास्तगी प्रकट और स्पष्ट है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमा पहले चरण में बंद होना चाहिए। केवल जब न्यायालय निश्चित है कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या विवाद / विषय-वस्तु स्वीकार्य नहीं है, तो

धारा 8 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस स्तर पर, न्यायालय को उलझनों में नहीं खोना चाहिए और तथ्यों के बहस योग्य सवालों पर फैसला नहीं करना चाहिए। रेफरल कार्यवाही प्रारंभिक और संक्षिप्त है और छोटा विचारण नहीं है...

...

138... दूसरी ओर, संविदा निर्माण, अस्तित्व, वैधता और गैर-मध्यस्थता योग्य से संबंधित मुद्दों विवादों/दावों के गुणागुण के अंतर्निहित मुद्दों से जुड़े और गुंथें होंगे। वे तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थता अधिकरण को फैसला करना होगा।

139. हम बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना चाहेंगे, यद्यपि यह मत व्यक्त करते हैं कि न्यायालय वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है ताकि एक गहन लेकिन संक्षिप्त प्रथम दृष्टया समीक्षा की जा सके, जबकि यह सचेत रहते हुए कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया की सहायता करने के लिए है और मध्यस्थ अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़पना नहीं है। रेफरल चरण में एक विस्तृत पूर्ण समीक्षा या एक लंबी समीक्षा शुरू करने से बाधा उत्पन्न होगी और देरी हो सकती है जिससे विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता कमजोर होगी। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाती है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। ऐसे कुछ मामले हैं जहां प्रथम दृष्टया जांच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय की चुनौती सही मात्रा और संदर्भ का पता लगाना है जब वह प्रथम दृष्टया मामले की जांच करेगी या संयम बरतेगी। कानूनी आदेश को रेफरल स्तर पर मध्यस्थता में बाधा डालने वाली रणनीति से बचने और जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य होता है तो पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से बचाने के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता होती है।

140. तदनुसार, जब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया समीक्षा अनिर्णायक या विचार करने पर अपर्याप्त होगी, क्योंकि इसके लिए विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता है, तो मामले को सहमति से पक्षकारों द्वारा चुने गए मध्यस्थ अधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अंतर्निहित तर्क यह है कि देरी या टाला न जाए और पक्षकारों को देरी और बाधा डालने के लिए रेफरल कार्यवाही का उपयोग करने से हतोत्साहित किया जाए। ऐसे मामलों में इस स्तर पर न्यायालयों द्वारा पूर्ण समीक्षा मध्यस्थ अधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी और न्यायालयों और मध्यस्थ अधिकरण के बीच

अधिकार क्षेत्र आवंटित करने वाली विधायी योजना का उल्लंघन करेगी। प्राथमिक और प्रथम निर्णायक के रूप में मध्यस्थ अधिकरण के साथ मुकदमेबाजी का केंद्रीकरण फायदेमंद है क्योंकि यह विवादों के त्वरित और कुशल समाधान में मदद करता है।

(जोर दिया गया)

24. विद्या ड्रोलिया (पूर्वोक्त) में अधिकथित सामान्य नियम और सिद्धांत के अनुसरण में, यह न्यायालय लगातार यह अभिनिर्धारित करता रहा है कि मध्यस्थ अधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए वरीयता प्राप्त पहला प्राधिकरण है। प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा व अन्य, तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एन.सी.सी. लिमिटेड में, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, क्योंकि प्रथम दृष्टया गैर-मध्यस्थता की आपत्ति पर इनमें से प्रत्येक मामले में पुनर्विलोकन अनिर्णीत पाया गया। बीएसएनएल व अन्य बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया (पी) लिमिटेड और सिकंदराबाद छावनी बोर्ड बनाम बी. रामचंद्रैया एंड संस में सामान्य सिद्धांत के अपवाद कि जब यह स्पष्ट है कि मामला स्पष्ट रूप से और प्रथम दृष्टया गैर-मध्यस्थता योग्य है, न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं कर सकती है, का अनुसरण करते हुए, मध्यस्थता से इनकार कर दिया गया क्योंकि पक्षकारों के दावे स्पष्ट रूप से समय-वर्जित हैं।

25. *संकुचित दायरा :-* उपरोक्त उदाहरण कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत न्यायालयों का प्री-रेफरल अधिकार क्षेत्र बहुत संकीर्ण है और इसमें दो जांच शामिल हैं। प्राथमिक जांच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है, जिसमें *समझौते के पक्षकारों* और उक्त समझौते के लिए *आवेदक की गोपनीयता* के संबंध में एक जांच भी शामिल है। ये ऐसे मामले हैं जिनकी रेफरल न्यायालय द्वारा गहन जांच की आवश्यकता होती है। संदर्भ स्तर पर ही उत्पन्न होने वाली द्वितीयक जांच विवाद की गैर-मध्यस्थता योग्य होने के संबंध में है।

26. एक सामान्य नियम और एक सिद्धांत के रूप में, मध्यस्थ अधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और तय करने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकार है। नियम के अपवाद के रूप में, और *शायद ही कभी एक आपति के रूप में*, रेफरल न्यायालय उन दावों को खारिज कर सकता है जो *स्पष्ट रूप से और पूर्व-दृष्टया गैर-मध्यस्थता योग्य हैं। विद्या डोलिया (पूर्वोक्त)* में अधिकथित सिद्धांतों से उत्पन्न इस स्थिति की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने *नॉर्टेल नेटवर्क (पूर्वोक्त)* में बाद के निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि :-

“45.1 ... न्यायिक मंच के रूप में धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, न्यायालय प्रथम दृष्टया परीक्षण का उपयोग कर सकती है ताकि पूर्व दृष्टया योग्यताहीन, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी

की जांच और इन्हें समाप्त किया जा सके। न्यायालयों के सीमित क्षेत्राधिकार से रेफरल स्तर पर शीघ्र और कुशल निपटान सुनिश्चित होगा। रेफरल चरण में, न्यायालय "केवल" तब ही हस्तक्षेप कर सकता है जब यह "प्रकट" होता है कि दावे पूर्व-दृष्टया समय-वर्जित और मृत हैं, या कोई विद्यमान विवाद नहीं है..."

27. किसी दावे के गैर-मध्यस्थता योग्य होने की जांच करने के लिए जांच का मानक केवल प्रथम दृष्टया है। रेफरल न्यायालयों को विवादित तथ्यों की पूर्ण समीक्षा नहीं करनी चाहिए; उन्हें केवल एक प्रथम दृष्टया समीक्षा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और तथ्यों को ही मामले को स्पष्ट करने देना चाहिए। इसके लिए न्यायालयों को यह जांचने की भी आवश्यकता है कि क्या मध्यस्थता पर किया गया दावा सदाशयी है या नहीं। तथ्यों की प्रथम दृष्टया जांच से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलना चाहिए कि एक लेशमात्र भी संदेह न हो कि दावा गैर-मध्यस्थता योग्य है। दूसरी ओर, भले ही थोड़ा सा भी संदेह हो, नियम विवाद को मध्यस्थता हेतु भेजने का है।

28. संकुचित दायरे के माध्यम से सीमित जांच आवश्यक और अकाट्य है। यह रेफरल न्यायालय के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है कि जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हो तो वह पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से बचाए। सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए विचारार्थ भेजने से इनकार करना न्यायालयों द्वारा एक वैध हस्तक्षेप बताया गया है। इसके अलावा, जैसा कि विद्या झोलिया (पूर्वोक्त) में उल्लेख किया गया

है, यदि सीमित दायरे के भीतर इस कर्तव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, और न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसलिए, इस न्यायालय या एक उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, से अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि यह केवल यांत्रिक रूप से एक आवेदक द्वारा उठाए गए कथित विवाद को चुने गए मध्यस्थ के दरवाजे पर भेजने का कार्य करें, जैसा कि डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड बनाम राजापुरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड में समझाया गया है।

29. **विश्लेषण :-** अब हम इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करेंगे और बुनियादी तथ्यों की प्रथम दृष्टया समीक्षा कर विवाद के मध्यस्थता योग्य होने की जांच करेंगे।

30. एसपीएमएल ने विषय अनुबंध के तहत निर्धारित कार्य विधिवत पूरा किया, और एनटीपीसी द्वारा 27.03.2019 को कार्य-पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया। एसपीएमएल ने अंतिम भुगतान जारी करने की मांग की, और एनटीपीसी ने अपने दिनांक 10.04.2019 के पत्र द्वारा इसे जारी करने पर सहमति व्यक्त की।

31. एसपीएमएल द्वारा 12.04.2019 को एक नो-डिमांड प्रमाणपत्र जारी किया गया था, और अंतिम भुगतान अप्रैल 2019 तक जारी किया गया था। अनुबंध

के निर्वाह के दौरान या अंतिम भुगतान जारी होने तक एसपीएमएल के किसी भी लंबित दावों के बारे में अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। यह रिट याचिका के साथ-साथ अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थता याचिका से स्पष्ट है।

32. जबकि एनटीपीसी ने 14.05.2019 को अंतिम भुगतान जारी किया, इसने एसपीएमएल की बैंक गारंटी को रोकने को इस आधार पर उचित ठहराया कि अन्य परियोजनाओं के संबंध में पक्षकारों के बीच कुछ विवाद हैं।

33. दिनांक 15.05.2019 के अपने पत्र द्वारा एनटीपीसी के रुख पर आपत्ति जताते हुए, एसपीएमएल ने कहा कि अन्य परियोजनाओं के तहत दावों के साथ बैंक गारंटी को जोड़ना अनुचित था। बदले में, एसपीएमएल ने एनटीपीसी के खिलाफ 72,01,53,899/- रुपये का दावा किया। साथ ही, एसपीएमएल ने इन दावों के निपटारे के लिए एक "न्यायनिर्णायक" की नियुक्ति की भी मांग की।

34. उपरोक्त संदर्भ में एसपीएमएल ने 03.07.2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। रिट याचिका में प्रार्थना, विशेष रूप से 15.05.2019 को उठाए गए विशाल दावे के संदर्भ में, महत्वपूर्ण है। सहज संदर्भ के लिए प्रार्थना को नीचे प्रस्तुत किया गया है :-

“(क) प्रत्यर्थी द्वारा जारी 14.05.2019 के ई-मेल को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश पारित करें, जहां तक कि यह बैंक गारंटी जारी करने से संबंधित है जो (क) 0040आईएलजी002609, (ख) 0040आईएलजी001109, (ग) 0040आईएलजी00

1209, (घ) 0040आईएलजी001309 हैं और प्रत्यर्थी को पूर्वोक्त बैंक गारंटीज को जारी करने का निर्देश जारी करें, ...”

35. रिट याचिका की प्रार्थना या मुख्य भाग में 72,01,53,899/- रुपये के दावे का कोई संदर्भ नहीं है। स्पष्ट रूप से, रिट याचिका बैंक गारंटी वापस करने के लिए निर्देश की मांग करने तक सीमित है।

36. रिट याचिका का निपटान लंबित होने के कारण, उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.07.2019 के एक अंतरिम आदेश द्वारा एनपीटीसी को बैंक गारंटी लागू नहीं करने का निर्देश दिया। अंतरिम आदेश एसपीएमएल द्वारा बैंक गारंटी को जीवित रखने के अधीन था। आदेश के प्रासंगिक भाग निम्नलिखित हैं :-

“...

2. नोटिस जारी करें। प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. स्वीकार्य रूप से, जिस अनुबंध के अनुसरण में संबंधित बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी, वह पूरा हो चुका है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का अनुबंध का निष्पादन संतोषजनक था। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि उसे इसके लिए पूरी राशि प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि बैंक गारंटी जारी करने को पक्षकारों के बीच अनुबंध की शर्तों के विपरीत रोका जा रहा है, ताकि अन्य अनुबंधों के संबंध में कुछ विवादों के संबंध में याचिकाकर्ता पर दबाव डाला जा सके, जो मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष लंबित हैं।

...

6. इस बीच, प्रत्यर्थियों को बैंक गारंटी को लागू करने से रोका जाता है, बशर्ते याचिकाकर्ता इसे जीवित रखे।

37. 23.07.2019 को, एसपीएमएल ने एनटीपीसी को एक नोटिस भेजा, जिसमें विवाद समाधान खंड के तहत मध्यस्थता लागू करने के अपने इरादे को सूचित किया गया।

38. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों ने अपने दावों और प्रतिदावों के बारे में कई चर्चाओं में भाग लिया। यह सब 27.05.2020 के निपटान समझौते में समाप्त हुआ। निपटान समझौते की शर्तें इस प्रकार हैं :-

"इसलिए, इसमें निहित अचल संपत्ति और आपसी वादों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियां निम्नानुसार सहमत हैं:-

1. एजेंसी वर्तमान समझौते के निष्पादन पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर रि.या. संख्या 7213/2019 को एनटीपीसी के पास उल्लिखित मूल बैंक गारंटी प्राप्त होने के तुरंत बाद वापस लेने का वचन देती है, जैसा कि नीचे पैरा 4 में उल्लिखित है।

2. एजेंसी वर्तमान अनुबंध समझौते और एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की आगे की कार्यवाही शुरू नहीं करने के लिए सहमत हो गई है। इसके अलावा, एजेंसी ने वर्तमान अनुबंध समझौते और एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य के संबंध में एनटीपीसी लिमिटेड के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करने का वचन दिया है, चाहे वह

मध्यस्थता कार्यवाही, सिविल मुकदमा, रिट याचिका, या किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायालय के समक्ष कोई अन्य कार्यवाही हो।

3. एजेंसी ने पुष्टि की है कि उसे वर्तमान अनुबंध से उत्पन्न संपूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है और यह बंद हो गया है, और विषय अनुबंध के तहत एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किसी भी तरह से एजेंसी को कोई और राशि देय नहीं है।

...

5. एनटीपीसी लिमिटेड ने लंबित रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित बैंक गारंटीज को जीवित नहीं रखने के लिए एजेंसी के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही नहीं करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

39. निपटान समझौते के अनुपालन में, एनटीपीसी ने 30.06.2020 को बैंक गारंटी जारी कर दिया, जो लंबित रिट याचिका का विषय थीं।

40. यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा एसपीएमएल को अपनी बैंक गारंटी को जीवित रखने के विशिष्ट निर्देश के बावजूद बैंक गारंटी 19.11.2019 और 16.12.2019 को समाप्त हो गई। हालांकि, निपटान समझौते में अपने व्यक्त वचन के अनुपालन में एनटीपीसी ने एसपीएमएल के खिलाफ अवमानना की कोई कार्यवाही दायर नहीं की।

41. निपटान समझौते के अनुसार बैंक गारंटी जारी करने के बाद, एसपीएमएल ने रिट याचिका वापस ले ली, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने 21.09.2020 के आदेश में दर्ज किया था।

42. एक महीने बाद, 10.10.2020 को, एसपीएमएल ने अधिनियम की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थता याचिका दायर की, जिसमें निपटान समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक दबाव का आरोप लगाया गया। यह भी आरोप लगाया गया था कि निपटान समझौते को 22.07.2020 को एसपीएमएल के एनटीपीसी को पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें निपटान समझौते पर विवाद किया गया था।

43. मध्यस्थता याचिका के अपने जवाब में, एनटीपीसी ने विशेष रूप से बताया कि एसपीएमएल ने अनुबंध के लंबित रहने के दौरान 72,01,53,899/- रुपये की बकाया राशि के संबंध में कभी कोई दावा नहीं किया, और यह कि जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। एनटीपीसी ने आरोप लगाया कि मध्यस्थता याचिका में सदाशय की कमी है।

44. जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्पष्ट तथ्यों का एक सरल वर्णन, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोप सदाशयी नहीं हैं और यह कि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए कोई लंबित दावा नहीं था। प्रत्यर्थियों का दावा "पूर्व दृष्ट्या गुणागुणहीन, तुच्छ

और बेईमान मुकदमेबाजी" शुरू करने के प्रयास के विवरण में सही बैठता है। हम अपने निष्कर्ष के लिए कारणों को बताने का प्रयास करेंगे।

45. पूरा विवाद अपीलकर्ता, एनटीपीसी के एकमात्र कार्य के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने काम के सफल समापन के बावजूद बैंक गारंटी वापस नहीं की। एसपीएमएल द्वारा नो-डिमांड सर्टिफिकेट जारी करने और एनटीपीसी द्वारा अंतिम भुगतान जारी करने के बाद भी यह जारी रहा। इन निर्विवाद तथ्यों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर हुई। बैंक गारंटी की वापसी के लिए एक शर्त के रूप में विषय अनुबंध के तहत किसी भी लंबित दावों को वापस लेने के लिए एसपीएमएल को मजबूर करने या आर्थिक दबाव का कोई आरोप नहीं था। इसके विपरीत, एसपीएमएल का एकमात्र आरोप एनटीपीसी द्वारा बैंक गारंटी जारी करने को कुछ अन्य अनुबंधों से जोड़ने की "अवैध" कार्रवाई के संबंध में था। उच्च न्यायालय के समक्ष ठीक यही तर्क था और वास्तव में इस निवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करते समय और एनटीपीसी को दोषी ठहराते समय दर्ज किया गया है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि समझौते की ओर ले जाने वाली जबरदस्ती और आर्थिक दबाव की दलील एक बाद का विचार है।

46. अब हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या निपटान समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोप *सदाशयी* हैं या नहीं। इस जांच का विवाद के मध्यस्थता योग्य होने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। रिट याचिका और

उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के निर्वाह के दौरान, जब एसपीएमएल को न्यायालय का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था, पक्षकारों ने निपटान समझौता किया। यह समझौता व्यापक था। इसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* (i) एनटीपीसी द्वारा बैंक गारंटी जारी करना, (ii) एसपीएमएल की रिट याचिका को वापस लेना, (iii) एनटीपीसी को बैंक गारंटी समाप्त होने देने के लिए एसपीएमएल के खिलाफ अवमानना कार्यवाही दायर करने से रोकना, और अंत में, (iv) एसपीएमएल को मध्यस्थता सहित विषय अनुबंध के तहत कोई भी कार्यवाही शुरू करने से रोकने का प्रावधान था। निपटान समझौते में यह भी दर्ज किया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई मौजूदा मुद्दा लंबित नहीं था।

47. जबरदस्ती और आर्थिक दबाव की दलील को निपटान समझौते के निष्पादन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जो विवादित नहीं है, और इसके कार्यान्वयन के कारण 30.06.2020 को बैंक गारंटी जारी करना भी विवादित नहीं है। बैंक गारंटी जारी होने के लगभग तीन सप्ताह बाद, एसपीएमएल द्वारा 22.07.2020 को खंडन का एक पत्र जारी किया गया था। यह पत्र निपटान समझौते के निष्पादन के करीब दो महीने बाद और वास्तव में रिट याचिका के निर्वाह के दौरान जारी किया गया था। निपटान समझौते के लाभों का लाभ उठाने के बाद, रिट याचिका 21.09.2020 को वापस ले ली गई थी। इसके बाद अधिनियम की धारा 11(6) के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया गया था।

घटनाओं का क्रम हमें इसे निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि खंडन का पत्र केवल निपटान समझौते की शर्तों से बचने के लिए जारी किया गया था।

48. पूर्वगामी में संदेह के परे स्पष्ट किया गया है कि मध्यस्थता में प्रस्तुत किए जाने की मांग किए जाने वाले दावों को बाद में सोचकर उठाया गया था। इसके अलावा, एसपीएमएल के निपटान समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोपों में सदाशय का अभाव है। वे *पूर्व दृष्टया* तुच्छ और अरक्षणीय के रूप में समाप्त किए जाने योग्य हैं।

49. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो स्वयं मामला स्पष्ट करते हैं, हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय को *पूर्व दृष्टया* योग्यताहीन और बेईमान मुकदमेबाजी की समीक्षा करने और समाप्त करने के लिए *प्रथम दृष्टया* परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए था। ये ऐसे मामले हैं जहां उच्च न्यायालय को सीमित और संकुचित समीक्षा का प्रयोग करना चाहिए ताकि पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोका जा सके और बचाया जा सके।

50. तदनुसार, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन की अनुमति देने में त्रुटि की है। उच्च न्यायालय को *विद्या डोलिया*) पूर्वोक्त में (निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में विवादों के अंतिम निपटान के मुद्दे की जांच करनी चाहिए थी।

51. ऊपर बताए गए कारणों से, मध्यस्थता याचिका संख्या 477/2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2021 के निर्णय को रद्द किया जाता है, और सिविल अपील संख्या 4778/2022 को अनुमति दी जाती है।

52. पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: सुरभी सोनी और राखी, एलसीआरएएस)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।